

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष: एम०के० सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 363-दो/15 विरुद्ध आदेश दिनांक 20-9-06 पारित
द्वारा कलेक्टर, जिला अशोकनगर प्रकरण क्रमांक 41 स्व.निग./05-06.

निरन सिंह पुत्र चंदन सिंह लोधी
निवासी ग्राम बडेरा तहसील चंदेरी
जिला अशोकनगर

----- आवेदक

विरुद्ध

म०प्र० शासन
द्वारा कलेक्टर, अशोकनगर

----- अनावेदक

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री टी.सी. नरवरिया एवं श्री पी.के. तिवारी ।
अनावेदक शासन की ओर से अधिवक्ता श्री बी.एन. त्यागी ।


:: आदेश ::

(आज दिनांक 05-10-2015 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर, जिला अशोक नगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 41/स्व.निग.
/04-05 में पारित आदेश दिनांक 20-9-06 से परिवेदित होकर म०प्र० भू-राजस्व
संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई
है ।

2- प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में उल्लिखित होने से
उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

3- आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि
अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरुद्ध है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई






कार्यवाही पूर्णतया वैधानिक और न्यायसंगत थी । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपना कर तथा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर आवेदक को ग्राम बड़ेरा स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नं. 129 में से 2.00 हैक्टर पर भूमिस्वामी अधिकार दिए गए थे । अनुविभागीय अधिकारी की कार्यवाही अवैधानिक होने का कोई स्पष्टीकरण विवादित आदेश में नहीं दिया गया है । अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी द्वारा तहसीलदार, चंदेरी के माध्यम से प्रस्तुत रिपोर्ट के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है । इसके बावजूद भी तथाकथित दूषित रिपोर्ट को विचार में लेकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गंभीर त्रुटि की गई है ।

यह तर्क भी दिया गया कि कलेक्टर द्वारा 5 वर्ष से अधिक समय उपरांत स्वमेव निगरानी के अधिकारों का उपयोग किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त किया गया है, जो अवैधानिक है क्योंकि स्वमेव निगरानी के अधिकारों का उपयोग युक्तियुक्त समय के भीतर ही किया जा सकता है और युक्तियुक्त अवधि कुछ माह ही हो सकती है । इस संबंध में उनके द्वारा न्यायदृष्टांत 1998(1) म0प्र0 वीकली नोट्स 26 एवं न्यायदृष्टांत 2010 (4) MPLJ 178 (माननीय उच्च न्यायालय पूर्णपीठ) (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य विरुद्ध म0प्र0 शासन) एवं 2014 (I) MPLJ 253 राजेन्द्र प्रसाद तिवारी बनाम म0प्र0 शासन हवाला दिया गया है ।

4- अनावेदक म0प्र0 शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा आलोच्य आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5- उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर कार्यवाही करते हुए प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर दिनांक 21-8-2001 को आदेश पारित कर संहिता की धारा 57 (2) के तहत ग्राम बड़ेरा स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नं. 129 में से 2.00 हैक्टर पर भूमिस्वामी स्वत्व प्रदान किये गये और तत्पश्चात आवेदक का नाम राजस्व रिकार्ड में भूमिस्वामी के रूप में अंकित किया जाकर उसे भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका जारी की गई है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को लगभग 5 वर्ष उपरांत कलेक्टर द्वारा स्वमेव निगरानी में लेकर आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त किया गया है । आवेदक की ओर से उद्धरित न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में 5 वर्ष की अवधि युक्तियुक्त अवधि नहीं मानी जा सकती । न्यायदृष्टांत 1998 (1) म0प्र0 वीकली नोट्स 26 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक






वर्ष की अवधि को, किसी प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेने हेतु युक्तियुक्त अवधि नहीं माना गया है । इसी प्रकार न्यायदृष्टांत 2010 (4) MPLJ 178 (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य तथा म0प्र0 शासन) में म0प्र0 उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों के अनेक न्यायदृष्टांतों का संदर्भ देते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि - " भू-राजस्व संहिता, म0प्र0 (1959 का 20) धारा - 50 पुनरीक्षण संहिता की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा शक्तियों का प्रयोग, उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाहियों की अवैधता, अनौचित्यता तथा अनियमितता की जानकारी की तारीख से 180 दिन की अवधि के भीतर किया जा सकता है भले ही अचल संपत्ति शासकीय भूमि हो अथवा उसमें कोई लोकहित हो ।" माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत 2014 (I) MPLJ 253 (राजेन्द्र प्रसाद तिवारी बनाम म0प्र0 शासन) में भी उक्त न्यायदृष्टांतों का संदर्भ देते हुए अपर कलेक्टर द्वारा स्वमेव निगरानी अधिकारों के तहत 2 साल 5 माह बाद जारी नोटिस को उचित न मानते हुए याचिका स्वीकार की गई है । किंतु वर्तमान प्रकरण में पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायदृष्टांतों में निर्धारित अवधि के पश्चात पुनरीक्षण में लिया जाना विधि की मंशा के विरुद्ध है । उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों के प्रकाश में कलेक्टर द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत एवं विधिसम्मत नहीं है, अतः स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर, जिला अशोकनगर द्वारा 41/स्व.निग./04-05 में पारित आदेश दिनांक 20-9-06 निरस्त किया जाता है । तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि आवेदक का नाम ग्राम बड़ेरा स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नं. 129 में से रकबा 2.00 हैक्टर पर पूर्ववत राजस्व अभिलेखों में अंकित किया जाये ।

(एम0 के0 सिंह)

सदस्य

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर